अध्याय III
वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान मद एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान या संबंधित व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति में किया गया भुगतान है। सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों निकायों तथा संस्थानों को दिया जाता है। इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थानों तथा अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को भी सहायक अनुदान संवितरित किया जाता है। अतएव विमुक्त किया गया अनुदान इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दैनिक संचालन व्ययों तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय है, बिहार कोषागार संहिता, 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए।

वित्त विभाग के कार्यकारी आदेश दिनांक 16 जनवरी 1975 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी जिसे वित्त विभाग के कार्यकारी आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

31 मार्च 2016 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति को **तालिका 3.1** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष(*)	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	1,436	15,903.71
2014-15	323	7,809.29
2015-16	126	5,686.87
योग	**1,885**	**29,399.87**

** ऊपर अंकित वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण से 18 महीने के बाद)*
(स्रोतः वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित आँकड़ों की संवीक्षा के दौरान यह प्रदर्शित हुआ कि मार्च 2016 के अंत तक ₹ 29,399.87 करोड़ के 1885 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि ₹ 29,399.87 करोड़ का 86 प्रतिशत (राशिनुसार) मुख्यतः 5 विभागों, शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ के 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 32 प्रतिशत), पंचायती राज विभाग (₹ 7,417.19 करोड़ के 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 25 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ के 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 14 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (₹ 2,326.79 करोड़ के 94 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 8 प्रतिशत) है तथा ग्रामीण विकास विभाग (₹ 2,130.95 करोड़ की 35 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 7 प्रतिशत) से संबंधित था। विभागानुसार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विश्लेषित विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि, अपेक्षित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता इंगित करती है।

3.1.2 पंचायती राज विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान संख्या–16 "पंचायती राज विभाग" के 2010–15 के अवधि की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का नमूना जाँच, माह अगस्त से अक्टूबर 2016 तक किया गया। पंचायती राज विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 30 जून 2016 तक की वर्षवार स्थिति **तालिका 3.2** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.2: 30 जून 2016 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	सहायक अनुदान के वार्षिक संवितरण का वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
1	पंचायती राज विभाग	2003-04 से 2009-10	60	1,768.13
2		2010-11	32	400.04
3		2011-12	27	465.57
4		2012-13	55	1,112.56
5		2013-14	38	2,091.35
6		2014-15 (30/11/14 तक)	23	1,141.93
योग			**235**	**6,979.58**

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आँकड़ें)

पंचायती राज विभाग के उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित आँकड़ों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि इस विभाग में जून 2016 के अंत तक ₹ 6,979.58 करोड़ के 235 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था जिसमें ₹ 1,768.13 करोड़ के 60 उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2003–04 से 2009–10 की अवधि के थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या की वर्षवार प्रवृत्ति में वर्ष 2012–13 (55 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से वर्ष 2014–15 (23 उपयोगिता प्रमाण पत्र) तक गिरावट दर्ज की गयी। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नयी स्वीकृति, समायोजन तथा लंबित राशि की 30 जून 2016 तक की स्थिति **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: 30 जून 2016 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उपयोगिता प्रमाण पत्र की लंबित राशि (24/09/2013 तक)	नई स्वीकृतादेश की प्राप्ति दिनांक 25/09/2013 से 30/06/2016 तक	कुल लंबित राशि	कुल समायोजन	लंबित शेष
1	पंचायती राज विभाग	4,231.62	9,479.35	13,710.97	6,731.39	6,979.58

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आँकड़े)

₹ 4,231.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के बाबजूद सितम्बर 2013 से जून 2016 तक ₹ 9,479.35 करोड़ की नई स्वीकृति का आदेश जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि ₹ 13,710.97 करोड़ हो गई। इनमें से ₹ 6,731.39 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन इसी अवधि में हुआ तथा शेष ₹ 6,979.58 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जून 2016 तक लंबित रहा।

निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदानों की ससमय उपयोगिता को सुनिश्चित करने में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों तथा कार्यविधियों के अनुपालन की असफलता को इंगित करता है।

इसे इंगित करने पर, सरकार द्वारा बतलाया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये है।

3.2 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीना में सार विपत्र आहरित की गयी हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र अभिश्रव सहित महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत न किया जाए। विस्तृत आकस्मिक विपत्र की विलंब प्रस्तुति अथवा दीर्घकालीन प्रस्तुति सार विपत्र के व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार ब्यौरा नीचे **तालिका 3.4** में दी गयी है:

तालिका 3.4: सार आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित सार आकस्मिक विपत्र		वर्ष के दौरान प्रस्तुत विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि
2012-13 तक	94,017	31,946.11	79,870	29,756.09	14,147	2,190.02
2013-14	1,294	728.61	436	118.81	858	609.80
2014-15	2,097	2,040.06	525	410.63	1,572	1,629.43
2015-16	3,926	8,273.13	146	628.07	3,780	7,645.06
योग	**1,01,334**	**42,987.91**	**80,977**	**30,913.60**	**20,357**	**12,074.31**

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) से प्रदत्त सूचना एवं वित्त लेखा 2015–16)

उपरोक्त **तालिका 3.4** दर्शाता है कि 3926 सार आकस्मिक विपत्रों से ₹ 8,273.14 करोड़ राशि की निकासी वर्ष 2015–16 में की गयी। इसमें से ₹ 3,029.81 करोड़ (36.62 प्रतिशत) के सार आकस्मिक विपत्र केवल मार्च 2016 में आहरित किये गये तथा ₹ 93.13 करोड़ की राशि का आहरण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया। मार्च में सार आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध वृहत व्ययों से पता चलता है कि निकासी का उद्देश्य मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करना था जो कि अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

वर्ष 2015–16 में आहरित ₹ 8,273.14 करोड़ के 3926 सार आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 628.07 करोड़ के 146 सार आकस्मिक विपत्रों का ही समायोजन किया गया। इस प्रकार, ₹ 7,645.07 करोड़ का 3780 सार आकस्मिक विपत्र वर्ष 2015–16 में लंबित था। लंबित सार आकस्मिक विपत्र मुख्यतः, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 4,262.81 करोड़), सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 2,354.59 करोड़), निर्वाचन (₹ 236.55 करोड़) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 100 करोड़) से संबंधित थे।

पिछले सार आकस्मिक विपत्र से किये गये निकासी का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किये बिना सार आकस्मिक विपत्र से निकासी नियम का उल्लंघन है।

3.3 निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों का विवरण

संस्थाओं/संगठनों, जिनका लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 तथा 15 के अंतर्गत किया जाना है, को चिह्नित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दिए गए वित्तीय सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा कुल व्यय की विस्तृत सूचना देना होता है। पुनः, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 उपबंधित करता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्षों, जो कि निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक वैसे निकायों तथा प्राधिकरणों, जिनको अनुदान और/या ऋण कुल ₹ 10 लाख या अधिक का पिछले वर्ष भुगतान किया गया है, के बारे में एक विवरणी जो सहायता का रकम, स्वीकृत सहायता का उद्देश्य और निकाय या प्राधिकरण का कुल खर्च दर्शाता हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

बिहार सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2015–16 का ऐसा ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया। यह मुद्दा वित्त विभाग के समक्ष मई 2016 में उठाया गया था। सितंबर 2016 तक जवाब प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में 42 निकायों/प्राधिकरणों को चिह्नित किया गया है जिनका लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 के अंतर्गत किया जा सकता है तथा इनका लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों (मार्च 2006 से मार्च 2016) के लिए जुलाई 2016 तक किया गया है जैसा की ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

सरकार द्वारा निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए वित्तीय सहायता, सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा इस तरह के निकायों/प्राधिकरणों द्वारा किए गए कुल व्यय के ब्योरे के प्रस्तुतीकरण में विफलता के कारण, विधायिका/सरकार को आश्वासन देना संभव नहीं था जिन तरीकों से उनके द्वारा किए गए भुगतान/अनुदानों की संस्वीकृति का उपयोग किया गया है। यह सरकारी व्यय प्रणाली के ऊपर नियंत्रण को कमजोर करता है।

3.4 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तों–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (2009–10 तक), राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (वर्ष 2012–13 से), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (वर्ष 2010–11 से), बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना (2013–14 तक) तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना (2015–16 तक) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है।

3.5 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.5: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	235.47	0.00	245.63	0.00	270.29	0.00
निवल	**(नामे) 235.47**		**(नामे) 245.63**		**(नामे) 270.29**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	1,778.62	258.09	3,423.16	282.10	3,980.75	290.43
निवल	**(नामे) 1,520.53**		**(नामे) 3,141.06**		**(नामे) 3,690.32**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,225.14	894.60	1,235.26	894.60	1,242.12	894.60
निवल	**(नामे) 330.54**		**(नामे) 340.66**		**(नामे) 347.52**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	12,047.47	12,187.96	11,913.94	11,994.34	1,09,773.31	1,09,574.26
निवल	**(जमा) 140.49**		**(जमा) 80.40**		**(नामे) 199.05**	
8782–103–वन प्रेषण	208.11	185.49	248.82	227.19	2,214.48	2,035.28
निवल	**(नामे) 22.62**		**(नामे) 21.63**		**(नामे) 179.20**	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 24.66 करोड़ (नामे), 102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 549.26 करोड़ (नामे),

103– वन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 157.57 करोड़ (नामे) तथा 110–रिजर्व बैंक उचंत–केंद्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 6.86 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई।

यदि ये राशियाँ असमाशोधित रह जाती है तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.6 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से अग्रिम व्यय की संभवना में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन को व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि ₹ 191.23 करोड़ का अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय आठ संबंधित विभागों/संगठनों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2016 तक आहरित किया गया। 31 मार्च 2016 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.75	2.70	8.45
2	सिंचाई	27.41	6.41	33.82
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.54	0.39	8.93
5	पथ निर्माण	67.50	0.57	68.07
6	ग्रामीण कार्य	7.39	7.48	14.87
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एल0ए0ई0ओ0)	43.43	9.75	53.18
8	नलकूप तथा लघु सिंचाई	2.08	0.96	3.04
योग				**191.23**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.7 प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) प्रावधानित करता है कि विभागाध्यक्षों द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ों तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार संयुक्त रूप

से जिम्मेवार होगें। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी चूक 2015–16 के दौरान भी जारी रही। केवल ₹ 56,809.23 करोड़ की राशि (कुल ₹ 1,07,581.96 करोड़ के राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 52.81 प्रतिशत) एवं ₹ 77,789.31 करोड़ (₹ 96,123.10 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्ति का 80.93 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ। कुल 21,116 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी0डी0ओ0) में सिर्फ 3,317 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (15.71 प्रतिशत) ने ही 31 मार्च 2016 तक अपने लेखाओं का समाशोधन किया।

3.8 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष–800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' तथा '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष, राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते है। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, व्यय भाग के 14 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों के अंतर्गत कुल ₹ 93.62 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' के अंतर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष के नीचे वर्गीकृत किया गया जो कि कुल व्यय (राजस्व व्यय– ₹ 83,616 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय– ₹ 23,966 करोड = ₹ 1,07,582 करोड़) का 0.09 प्रतिशत था। इसी तरह, प्राप्तियों भाग के 44 राजस्व मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 940.20 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर), लघु शीर्ष–'800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष के नीचे वर्गीकृत की गयी जो कि कुल राजस्व प्राप्ति का 0.98 प्रतिशत था। लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' एवं लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय एवं प्राप्तियों के बड़े अनुपात में आने वाले उदाहरणों (संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन 10 प्रतिशत से अधिक) को क्रमशः ***परिशिष्ट 3.4*** एवं ***3.5*** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800" – अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत एक बड़ी राशि, वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को प्रतिबिंबित करता है।

3.9 व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का स्थानांतरण

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते का उपयोग समेकित निधि से इन खातों में निधि स्थानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या दूर–दूर तक बिखरी हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो। पी0डी0 के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा तीन लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी) तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती कर समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

तलिका 3.7: व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
170	3,472.44	01	0.00	0	0.00	171	4,126.37

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष के दौरान 41 जमा खातों में ₹ 2,388.69 करोड़ की राशि जमा किया गया तथा 49 जमा खातों से ₹ 1,734.76 करोड़ की राशि नामे किए गए जिससे ₹ 4,126.37 करोड़ की राशि 171 जमा खातों में शेष रहा जिनमें 57 खातें अपरिचालित है। वर्ष के दौरान कोई भी पी0डी0 लेखा बंद नहीं किया गया।

वैसे 73 कोषागार जिनके द्वारा पी0डी0 खातों के संबंध में सूचना दी गई है, में से 54 कोषागारों में ही पी0डी0 लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 19 कोषागारों[1] द्वारा यह सूचित किया गया कि उनकें यहाँ कोई भी पी0डी0 खाता नहीं है। विगत तीन वर्षों में 12 कोषागारों के 14 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 717.23 करोड़ की राशि अव्ययित रहा ***(परिशिष्ट 3.6)***। वर्ष के दौरान, संचित निधि के अव्ययित शेष के प्रतिदाय का व्यौरा किसी भी पी0डी0 लेखा के कोषागार/प्रशासक द्वारा नहीं दिया गया।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 29,399.87 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2016 तक लंबित था। इसमें से, मुख्यतः तीन विभागों, शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ की 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र), पंचायती राज विभाग (₹ 7,414.19 करोड़ की 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ की 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुति के लिए लंबित था।

  राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के विलम्ब से प्रस्तुति के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 12,074.32 करोड़ की अहम् राशि मार्च 2016 तक लंबित थे। इसमें तीन वर्षों से अधिक लंबित ₹ 2,190.02 करोड़ की 14147 विपत्र सम्मलित है।

  राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

बहुप्रयोजित लघु शीर्ष "800" का संचालन

- वित्तीय प्रतिवेदन में बहुप्रयोजित लघु शीर्ष "800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अंतर्गत वर्गीकृत ₹ 1,033.82 करोड़ के राशि की व्यय एवं प्राप्तियाँ अपारदर्शिता को दर्शाता है।

  यह अनुशंसा की जाती है जो प्राप्तियाँ/व्यय उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षो में वगीकृत नहीं की जा सकती, उनको लघु शीर्ष "800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अंतर्गत निर्धारित/आरक्षित किया जा सकता है।

[1] बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिंह सराय डेहरी–ऑन–सोन, हिलसा, लालगंज, महुआ, मसौढ़ी, मोकामा, नौगछिया, पूपरी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुरपटोरी, सिकहरना, टेकारी, त्रिवेणीगंज।

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते में निधि का स्थानांनतरण

- विभिन्न राज्य सरकार कार्यालयों के व्यक्तिगत जमा खातों में मार्च 2016 तक ₹ 4,126.37 करोड़ की राशि अव्ययित रहा। व्यक्तिगत जमा से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित शेष राशि संचित निधि में वापस जमा नहीं किया गया।

  व्यक्तिगत जमा खाते के कोषागार/प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अव्ययित शेष संचित निधि में ससमय स्थानांतरित हो जाए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठनों द्वारा मार्च 2016 तक आहरित ₹ 191.23 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

  सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन वर्ष के अंत तक सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

पटना | (धर्मेंद्र कुमार)
दिनांकः | महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | (शशि कान्त शर्मा)
दिनांकः | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक